

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 16/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 680 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 693(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) after the words “State Government”, the words “or Union Territory” shall be inserted;
- (ii) after the word “Constitution”, the words “or to a Municipality under article 243W of the Constitution” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification 14/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 693 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 17/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का. नि. 681(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 690 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ‘कारोबार’ की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो”

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 64 (अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।